

भाग— ॥

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव राज्य क्रम सं0. FP/UP/RAIL/41878/2019

	परियोजना स्कीम का नाम	
(i)	वन / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश राज्य
(ii)	जिला	गाजीपुर
(iii)	वन क्षेत्र	सामाजिक वानिकी प्रगांग, गाजीपुर
(iv)	वन के प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)	6.50572 हेक्टर
(v)	वन का कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परियोजनाओं के संबंध में एफओआरएल०-४ भीटर भी संलग्न किया जाय	०९ वृक्ष विवरण संलग्न है।
(vii)	हरियाली का धनत	०.१
(viii)	भूमण्ड के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समग्रत एवं उपजाऊ वन भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (धास / झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सौल की वन सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल मार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
(x)	वन का राष्ट्रीय उत्त्यान, वन्यजीव अवश्यक, जैव भव्यता, रिजर्व, साथ रिजर्व, हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हों क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाय)	नहीं
(xi)	वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ / रकिटापन / विशिष्ट प्रजातियों पाइ जाती है यदि हों / तो तत्संबंधित व्यौरा दें	नहीं
(xii)	वन कोई सुरक्षित पूरातत्त्वीय / पारस्परिक स्थल / वन प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षक प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
3	उपभोक्ता एजेन्टी द्वारा भाग—१ कालम—२ से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के व्यौरा के साथ भद्रवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
4	वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हों / नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि दोषी अधिगणरियों पर की गई कार्याबाही सहित का व्यौरा दें। क्या उल्लंघन अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से स्थित दूरी भयाणकों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता है	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्टी समय अनुसूची लागत ढौंचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	45,74,741.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
6	जिला वन संरक्षक को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की विशेषत: उपयुक्त कालम—७, ८ व ९ में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है।
7	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	337700 हेक्टर
(ii)	जिला का वन क्षेत्र	121 हेक्टर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	15 मामले, 120.36224 हेक्टर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	लागू नहीं।
(ख)	वनेतर भूमि पर	7.7659 हेक्टर
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	लागू नहीं।
(ख)	वनेतर भूमि पर	7.7659 हेक्टर
8	प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्यों हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन भूमि का वनेतर कार्यों के प्रयोग हेतु संरक्षित की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग शून्य है।

दिनांक : 16-6-2020

स्थान : गाजीपुर

हस्ताक्षर  
सरकारी मोहर

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रगांग  
गाजीपुर